न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 51/2020
दायर दिनांक :– 12.10.2020

अनवान

1. श्री बनवारी लाल पिता भैरू लाल सोनी नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्रीमति गायत्री देवी पत्नि बनवारी लाल सोनी नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
3. श्री अंकित कुमार पिता बनवारी लाल सोनी नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि प्रहलाद गुजराती नि .जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्रीमति ललिता देवी पुत्री प्रहलाद गुजराती नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
3 श्रीमति राजकुमारी पुत्री प्रहलाद गुजराती नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण...............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री दीपक कुमार पंचोली, एडवोकेट वादीगण
2. श्री सुनिल कुमार पंचोली, एडवोकेट प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 23.10.2020

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 5244 रकबा 1.16 बीघा में वादी सं. 3 का 19/40 हक हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार आराजी सं. 4745 रकबा 2. 09 बीघा में वादी सं. 2 का 19/40 हक हिस्सा दर्ज हैं तथा आराजी सं. 4747 रकबा 2.10 बीघा व 4748 रकबा 3 बिस्वा गे. मु, आचा में वादी सं. 1 का 19/80 हक हिस्सा दर्ज दाखिल हैं इसी प्रकार आ. सं. 4775 रकबा 0.09 बीघा, आ.न 4776 रकबा 1.07 बीघा में वादी सं. 1 का 19/40 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज दाखिल है। इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर वादीगण काश्त कर रहे हैं। उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद गुजराती नि. जहाजपुर जो कि विगत 23 वर्षो से लापता है उसका ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी सं. 5244 रकबा 1.16 बीघा में 1/40 हक हिस्सा दर्ज हैं इसी प्रकार आ. सं. 4745 रकबा 2.09 बीघा में 1/40 हक हिस्सा दर्ज हैं तथा आ.सं. 4747 रकबा 2.10 बीघा व 4748 रकबा 0.03 बीघा गे. मु. आ.चा में 1/80 हक हिस्सा दर्ज दाखिल हैं इसी प्रकार आ. सं. 4775 रकबा 0.09 बीघा आ.सं. 4776 रकबा 1.07 बीघा में 1/40 हक हिस्सा नियत है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने अपना हिस्सा जो पुश्तेनी था को वादीगण सं. 1 से 3 से लगायत 3 ने अपना हिस्सा जो पुश्तैनी था को वादीगण सं. 1 से 3 को दिनांक 30. 07.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया। इसी दिवस प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र व प्रतिवादी सं. 2 व 3 का भाई कृष्णकुमार पुत्र प्रहलाद गुजराती नि. जहाजपुर जो कि पंजीयन दिनांक से लगभग 15 वर्ष पूर्व ही लापता हो गया था जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

आज दिनांक तक नही मिला हैं। उसका हक हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 3 ने दिनांक 30.07.2012 को ही वादीगण को जरिये इकरार नामा क्रमशः विक्रय कर लापता कृष्ण कुमार के हिस्से का विक्रय मूल्य वादीगणो से 62500— रू. नगद प्राप्त कर, उक्त कृष्ण कुमार के हिस्से की आराजी का कब्जा वादीगण सं. 1 लगायत 3 को प्रतिवादीगणो ने सभला दिया। तव से ही वादीगण उक्त कृष्णकुमार पुत्र प्रहलाद गुजराती की हक हिस्से की भूमि पर बतौर मालिक काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं जिन्हे अब कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद गुजराती के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। उक्त कृषि आराजियात में खातेदार कृष्ण कुमार का हक हिस्सा वाद पत्र में चरण सं. 3 में वर्णित वर्णनानुसार वादीगण ने खातेदार कृष्ण कुमार की माता, बहिनो व भाई से जरिये इकरार राशि 62500— रू. भुगतान कर जरिये इकरार क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया हैं चूंकि खातेदार कृष्ण कुमार इकरार की दिनांक 30.07.2012 से लापता था और उसके लौटकर आने की सम्भावनाए क्षीण होने से प्रतिवादीगणों ने वादीगणों के पक्ष में राशि प्राप्त कर विक्रय इकरार कर कब्जा सम्भलाया हैं तब से ही वादीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त हैं। इसलिये वादीगणो का वाद पत्र की चरण सं.. 2 में वर्णित कृष्ण कुमार के हिस्से की कृषि भूमि को वाद पत्र के चरण सं. 3 में वर्णन अनुसार विक्रय के कारण वादीगणो को खातेदार काश्तकार घोषित करना आवश्यक हैं परन्तु खातेदार कृष्ण कुमार के आज दिनांक 07.09.2020 तक लापता होकर वापस न लौटने के कारण और उसके हिस्से की कृषि भूमि का पंजीयन सम्भव नही होने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ हैं इसलिये वादीगण को उक्त वाद पत्र को पेश करने की आवश्यकता हुई है। इसलिये श्रीमान से निवदेन है की वाद पत्र की चरण सं 1 स 2 मे वर्णित आराजी ख. सं. 5244 में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 3 को आ.सं. 4745 में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान वादी सं. 2 को तथा आराजी खं. सं. 4747, 4748, 4775, 4776 में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री सुनिल कुमार पंचोली एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण की और से जवाब वाद पत्र मय स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाद पत्र के पैरा सं. 1 से 7 स्वीकार है। वादीगणों की और से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य रेकार्ड के अनुसार सही होकर सत्य होने से वादीगणों की अधियाचना स्वीकार किये जाने योग्य हैं वाद पत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित आ. सं. 5244 मे खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 3 को आ. सं. 4745 मे खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 2 को तथा आ. सं. 4747, 4748, 4775, 4776 में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित बताया है। व 50 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में खाता . 213, 211, 441, 212 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075, पक्षकारो के मध्य निष्पादित विक्रय ईकरार नामा की प्रति पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद मे वर्णित आराजी में कृष्ण कुमार का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वाद अवलोकन से स्पष्ट है की वाद मे वर्णित आराजी में कृष्ण कुमार का नाम विलोपित कर वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

C:nimay//rider

Scanned with CamScanner

को खातेदार घोषित किया जाना उचित है। जिसे न्यायालय वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 5244 रकबा 01.16 बीघा में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 3 अंकित कुमार को तथा ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 4745 रकबा 02.09 बीघा खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान वादी सं. 2 गायत्री देवी को तथा ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 4747 रकबा 2.10 बीघा, 4748 रकबा 0.03 बीघा, 4775 रकबा 0.09 बीघा, 4776 रकबा 1.07 बीघा में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 1 मनोहारीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्री बनवारी लाल पिता भैरू लाल सोनी नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्रीमति गायत्री देवी पत्नि बनवारी लाल सोनी नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
3. श्री अंकित कुमार पिता बनवारी लाल सोनी नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि प्रहलाद गुजराती नि .जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्रीमति ललिता देवी पुत्री प्रहलाद गुजराती नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
3 श्रीमति राजकुमारी पुत्री प्रहलाद गुजराती नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – 88, 89 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 51 / 2020

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री दीपक कुमार पंचोली का मिनजानिब मुदई व श्री सुनील कुमार पंचोली का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 5244 रकबा 01.16 बीघा में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 3 अंकित कुमार को तथा ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 4745 रकबा 02.09 बीघा खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान वादी सं.2गायत्री देवी को तथा ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 4747 रकबा 2.10 बीघा, 4748 रकबा 0.03 बीघा, 4775 रकबा 0.09 बीघा, 4776 रकबा 1.07 बीघा में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र प्रहलाद के स्थान पर वादी सं. 1 बनवारी लाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.10.2020

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner